

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेली कालन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि आदि अन्तर्गत पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नं०-3 में डिप्लोमा इन फार्मेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“ निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 की आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों पर जर्बान पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	क्र०	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2284	फार्मेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नॉलॉजी एंड रिसर्च एल०एन०-२४ ईलाहाबाद, लखनऊ जंमिनी निगर जंमिनी, त्रिग, बीकानेर।	डिप्लोमा इन फार्मेली		००	००

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०एफ्टीआई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ए०एन० 1862 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1862, सेमिनर सिनियर/ए०एन०-2018 तथा अन्य नियमित निष्ठा एवं जांचों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क विलंबतः इजी० कालन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, को जर्बान फार्मेली पाठ्यक्रम हेतु करेगी-

(Handwritten Signature)

45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय माह्यकर्म (दो वर्षीय कार्यशील पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निम्नलिखित किये जाने वाले आदेशों का पालना किया जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निम्नलिखित मामलों के लिए अथ 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो नीचे की नवीनतम कर लागू होंगे।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उक्त समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमबन्धी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के दिवस पर जाने की शिथिली में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्धारित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गए विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निदेशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा अध्याय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश धार्मिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई भी धारा किये जाता है तथा पास होने के संबंध में ना. स्नातकोत्तर द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को संस्था यदि भी सी.आई. ल्यू दिल्ली से अनुमोदन द्वारा करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश उच्चशैक्षिक संस्था का डोगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, धार्मिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई भी धारा किये जाता है तथा पास होने के संबंध में ना. स्नातकोत्तर द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्चशैक्षिक द्वारा प्रत्येक वर्ष को लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अद्यतनित प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कानूनी/नियमों के माध्यम से आशुता संस्था स्तर पर बांधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों/नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की जगह, सुलाह, जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूमिभूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, आगामी सत्र शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध प्रदान करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु संयुक्त पाठ्यक्रम संचालन के साथ शैक्षणिक रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो कि संस्था में परस्ताभित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-नक्शा, फार्मिकर उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था को सम्बद्धता सनात किये जाने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने उचित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की शिथिली में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सा. आर०के० सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद दिनांक: 15-08-2020

प्रतिवर्ष-प्रधानाचार्य/निदेशक, भगदीया इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एन्ड रिसर्च एन०एच०-28
ठिंजाबाद, लखनऊ-226005, निचल लोहासा मिश्र, फिजाबाद।

(सा. आर०के० सिंह)
सचिव

**कार्यालय
सचिव, प्रादेशिक शिक्षा परिषद,
(उत्तर प्रदेश सरकार)**

संख्या- प्राविम/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

प्रकाशक दिनांक: 19-6-2019

कार्यालय द्वारा:-

प्रदेशीय स्तर पर अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग द्वारा सत्र 2019-20 हेतु विभाग (4-5-2019) को अग्रिम प्रादेशिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया से परिचित कराया गया है। इसमें सत्र 2019-20 हेतु प्रादेशिक शिक्षा परिषद के सम्बद्धता/पूर्व के प्रादेशिक विभागों को सम्बद्धता विभाग/सम्बद्धता/परिषद द्वारा प्रादेशिक शिक्षा परिषद के सम्बद्धता विभाग के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

इसके अलावा, प्रादेशिक शिक्षा परिषद के सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन प्रदान किए जाने का निर्णय प्राप्त हुआ है। इससे संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत प्रादेशिक शिक्षा परिषद के सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन प्रदान किए जाने का निर्णय प्राप्त हुआ है।

ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध विभागों का फार्मों की संख्याओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संख्याओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को विभागों इन फार्मों की प्राथमिकता में प्रथम क्रम में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आइ0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।

इस विभाग द्वारा प्रेषित संस्था को परिषद की नियुक्ति समिति एवं विभाग-विशेषज्ञ द्वारा की गयी जांच/जांच के सम्बद्धता समिति द्वारा किए गये विचार के आधार पर प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2019-20 हेतु नियुक्ति के अंतर्गत प्राथमिकता/एड/इसमें अग्रिम प्रादेशिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान की जाती है -

क्र. सं. संस्था सं. संस्था का नाम	प्रादेशिक शिक्षा परिषद द्वारा	ए0आइ0सी0टी0ई0/य0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया	
1	2284	राज्यीय प्रविष्टि/उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार	विभाग इन फार्मों	आ

सम्बद्धता हेतु सूची

- 1. संस्था (ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा नियुक्ति की गयी शर्तों का पालन करने वाली)
- 2. संस्था (आइ0सी0टी0ई0 द्वारा नियुक्ति की गयी शर्तों का पालन करने वाली)

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2284-BHAVADIYA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & RESEARCH, N H-28 FAIZABAD LUCKNOW HIGHWAY, NEAR LOHIYA BRIDGE, FAIZABAD

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासननिर्देशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक BHAVADIYA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & RESEARCH, N
H-28 FAIZABAD LUCKNOW HIGHWAY, NEAR LOHIYA BRIDGE, FAIZABAD



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव